

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद Atomic Energy Regulatory Board

नियामक भवन Niyamak Bhavan  
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar  
मुम्बई Mumbai 400094

मार्च March 16, 2022

परामर्श Advisory

विषय : अदिश (स्कैलर) ऊर्जा और नकारात्मक आयन उत्पाद  
Sub : Scalar energy and Negative ion products

प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद को ज्ञात हुआ है कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होनेवाली रेडियोधर्मी सामग्री (एनओआरएम) युक्त वस्तुएं या उत्पाद भारतीय बाजार में विभिन्न श्रेणियों के तहत जैसे अदिश (स्कैलर) ऊर्जा उत्पादों और नकारात्मक आयन उत्पादों, नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी कपड़े/ आभूषण इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन मदों को स्वास्थ्य लाभ का दावा करते हुए और भावनात्मक कल्याण में सुधार के लिए प्रचारित किया जा रहा है।

It has come to the knowledge of Atomic Energy Regulatory Board (AERB) through published media reports that articles or products containing naturally occurring radioactive materials (NORM) are being made available in Indian market under varied categories such as scalar energy products and Negative ion products, Negative ion technology clothing/jewellery etc. These items are being promoted claiming health benefits and improving emotional well-being.

ऐसे उत्पादों में आयनकारी विकिरण के ऊंचे स्तर की संभावना को देखते हुए, इसके परिणामस्वरूप अनुचित विकिरण जोखिम हो सकता है, जो अवांछनीय है। इसलिए प्रचुर सावधानी के रूप में, ईआरबी भारत के लोगों को ऐसे असत्यापित दावों से अवगत होने और विवेकपूर्ण विवेक का प्रयोग करने की सलाह देता है और आग्रह करता है।

In view of likelihood of elevated level of ionising radiation in such products, it may result in undue radiation exposure, which is undesirable. Hence, as abundant caution, AERB advises and urges the people of India to be aware of such unverified claims and exercise judicious discretion.

कृपया यह भी जान लें कि खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, खिलौनों, व्यक्तिगत गहनों और सौंदर्य प्रसाधनों या किसी अन्य वस्तु या उत्पाद में जानबूझकर रेडियोधर्मी पदार्थों को शामिल करना और ऐसे उत्पादों की बिक्री, आयात या निर्यात परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत प्रख्यापित, परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004, के नियम 13 द्वारा निषिद्ध है।

Please also be aware that deliberate addition of radioactive substances in foodstuffs, beverages, toys, personal ornaments, and cosmetics or any other commodity or product and sale, import or export of such products is prohibited by Rule 13 of Atomic Energy (Radiation Protection) Rules 2004, promulgated under Atomic Energy Act 1962.

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी  
Issued by Atomic Energy Regulatory Board, Government of India in Public Interest

-----